न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS
पत्रावली संख्या : 85/18 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री मोहनलाल पिता टेकचन्द ब्राहम्ण निवासी ढाणा, नूरडा तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री पुरूषोतम उर्फ परसराम पिता टेकचन्द ब्राहम्ण निवासी ढाणा, नूरडा तह. मावली।
2. श्री पन्नालाल पिता टेकचन्द ब्राहम्ण निवासी ढाणा, नूरडा तह. मावली।
3. श्री बंशीलाल पिता टेकचन्द ब्राहम्ण निवासी ढाणा, नूरडा तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री जोधसिंह सांरगदेवोत, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 व 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 14.01.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने आप न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट. के तहत् पूर्व में दिनांक 01.04.2014 को प्रस्तुत किया है जिसके मु.न. 161/2014 हैं, जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थी के पक्ष में पूर्ण रूप से निर्णित होगा।
2. यह कि राजस्व ग्राम ढाणा, नूरडा पटवार हल्का नूरडा के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1714 रकबा 7 बिस्वा उक्त आराजीयात में मुझ प्रार्थी का 1/5 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 1 व 2 का 2/5 हिस्सा तथा विपक्षी सं. 3 का 2/5 हिस्सा दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1715, 1716, 1718, 1719, 1720, 1721, 1728, 1729, 1832, 1878, 1881, 1884 किता 17 रकबा 28 बीघा 7 बिस्वा उक्त आराजीयात मे मुझ प्रार्थी का एवं विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम समान हिस्सा दर्ज है। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 1717 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा उक्त आराजीयात में विपक्षी सं. 1 का 23/45 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 3 का 22/45 हिस्सा दर्ज हैं।
3. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ व ब में वर्णित कृषि भूमि में कब्जेनुसार एवं हिस्सेनुसार मौके पर सुविधानुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण काबिज है तथा आराजी सं. 1717 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के अन्दर भी प्रार्थी एवं विपक्षीगण समान हिस्से से अर्थात्

1/4 हिस्सा मुझ प्रार्थी तथा 3/4 हिस्सा शेष विपक्षी सं. 1 से 3 के पास होकर इसीनुसार कब्जे काश्त में हैं।

4. यह कि आराजी सं. 1717 पूर्व में मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण के पिता जी टेकचन्द के भाई कन्नीराम जी के कब्जे में थी तथा सम्मत् 2022 एवं 2023 के खसरा में कन्नीराम जी का कब्जा होने का अंकन है तथा जमीन बिलानाम सिवाये चक अंकित है कन्नीराम जी लाऔलाद फौत हो जाने से उनकी जमीन मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 3 को विरासत में मिली तथा इसीनुसार मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण का कब्जा चला आ रहा हैं।
5. यह कि आराजी सं. 1717 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा विपक्षी बंशीलाल ने राजस्व विभाग से मिली भगत कर गलत जानकारी देकर गलत तरीके से अकेले अपने नाम एलोट करा दी तथा इसका 23/45 हिस्सा विपक्षी पुरूषोतम को हस्तान्तरित कर दिया जबकि उक्त आराजीयात में बंशीलाल का कब्जेनुसार एवं विरासत अनुसार केवल 1/4 हिस्सा बनता है तथा विपक्षी पुरूषोतम का भी केवल 1/4 हिस्से पर कब्जा है बकाया 1/2 हिस्सा मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी पन्नालाल के हिस्से में होकर इसीनुसार कब्जा हैं।
6. यह की प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ व ब में वर्णित जमीन जो संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। परन्तु मौके पर उक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकार्ड में कब्जे एवं हिस्सेनुसार बंटवाडा नहीं कर रखा है तथा आराजी नम्बर 1717 अकेले विपक्षी पुरूषोतम एवं बंशीलाल के नाम दर्ज है जिसमें 1/4 हिस्सा मुझ प्रार्थी एवं 1/4 हिस्सा विपक्षी पन्नालाल का बनता है। आराजी सं. 1717 पूर्व में कन्नीराम पिता खेमराज के आधिपत्य में होने तथा उनके निधन के बाद विरासत से 1/4 हिस्सा मुझ प्रार्थी को मिलने से मैं प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात का 1/4 हिस्सा अपने नाम से खातेदार अधिकार से दर्ज कराने का अधिकारी हुं।
7. यह की प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ व ब में वर्णित जमीन जो प्रार्थी व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है परन्तु मौके पर बंटवाडा नहीं होने से एवं आराजी नम्बर 1717 में प्रार्थी का नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण आराजीयात में अवैध रूप से आधिपत्य जमाना चाहते है तथा मौके पर बढिया एवं उपजाऊ जमीन पर कब्जा जमा कर बेचना चाहते है तथा बिना बंटवाडा कराये मौके पर मेंरे हिस्से की जमीन पर भी कब्जा करने पर आमादा है जबकि उन्हे संयुक्त हिस्से की कृषि भूमि पर नया निर्माण करने एवं मकान बनाने का कोई अधिकार नहीं हैं।
8. यह कि वादग्रस्त जमीन का मौके एवं रिकार्ड अनुसार बंटवाडा नहीं होने तथा आराजी सं. 1717 में मुझ प्रार्थी का नाम खातेदारी से दर्ज नहीं होने से मुझ प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन में प्रार्थी के हिस्से को विकसित करने एवं उपजाउ बनाने में भारी दिक्कत आ रही हैं। इसलिए मैं प्रार्थी अपना हिस्सा अपना नाम आराजी सं. 1717 में दर्ज करा करा शेष सम्पूर्ण जमीन सहीत अपना नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज कराने का अधिकारी हुं।

9. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन मुझ प्रार्थी के संयुक्त हिस्सेनुसार कब्जे अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है तथा सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं। इसलिए प्रार्थी उक्त जमीन का अपने नाम हिस्सा स्वतन्त्र रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हैं।
10. यह कि विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर जमीन पर कब्जा करने पर उतारू एवं उक्त कृषि भूमि को अन्य को विक्रय करने पर हस्तान्तरण करने पर उतारू है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थी उसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है कि वो वादग्रस्त जमीन में किसी तरह का दखलन्दाजी निर्माण आदि नहीं करे अन्यथा प्रार्थी को होने वाली क्षति का आंकलन रूपया पैसों में नहीं किया जा सकेगा।
11. यह कि प्रार्थी ने विपक्षीगण को दिनांक 20.06.2014 को बंटवाडा कराने एवं आराजी सं.. 1717 में प्रार्थी का नाम दर्ज कराने के लिए कहा विपक्षीगण ने कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए प्रार्थी को विवश होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। जिससे वाद कारण दिनांक 20.06.2013 को उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
12. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षी सं. 1 से 3 के विरूद्व निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण होने तक प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात में प्रार्थी की आराजीयात पर विपक्षीगण कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करे ना ही किसी वादी की आराजीयात में कोई पक्का निर्माण कार्य करे तथा न ही उक्त आराजीयात के वर्तमान स्वरूप में बदलाव करे तथा न ही वादी की आराजीयात पर जबरन कब्जा करे, न ही प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को किसी अन्य को रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित स्वयं करे न ही अपने नौकर, चाकर एवं एजेन्ट के मार्फत करावे। तथा प्रार्थी को अपनी आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी तरह से व्यवधान पैदा नहीं करे एवं मौके स्थिति बनाये रखे। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
13. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 1 व 3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी के वाद नम्बर 161 सन् 2014 वाद पत्र है। वादगत आराजी नम्बर 1717 प्रतिवादी सं. 3 बंशीलाल को राज्य सरकार से ऐलोटमेन्ट से प्राप्त की गई भूमि है, जिसमें वादी का कोई स्वत्व अधिकार एवं कब्जा कुछ भी नहीं है सो इस आराजी का वादी का वाद सव्यय खारिज होगा। अन्य भूमि के पांती बंटवाडे कराने में हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं हैं।
14. मौजा नूरडा की आराजी नम्बर 1714 पहले केवल विपक्षी सं. 3 बंशीलाल अकेले के खातेदारी की थी, जिसने प्रार्थी एवं विपक्षीगण पुरूषोतम और पन्नालाल तीनों को 3/5

हिस्सा बराबर हक से दान में दी है सो दान से प्रार्थी व विपक्षी बंशीलाल का इसमें 2/5 हिस्सा एवं कब्जा है। परिशिष्ट ब की भूमि पर प्रार्थी, विपक्षीगण सभी के खातेदारी में दर्ज एवं अलग–अलग कब्जे में हैं। आराजी नम्बर 1717 रकबा 2.05 दो बीघा पांच बिस्वा में विपक्षी सं. 3 बंशीलाल के 22/45 हिस्सा एवं विपक्षी पुरूषोतम के 23/45 हिस्से की भूमि है जिसमें प्रार्थी तथा विपक्षी पन्नालाल का कोई स्वत्व हिस्सा कब्जा कुछ भी नहीं हैं। मौजा नूरडा की आराजी नम्बर 1717 में प्रार्थी, विपक्षी पन्नालाल का कोई हिस्सा स्वत्व नहीं हैं। यह भूमि विपक्षी बंशीलाल के नाम से पुराने कब्जे से राज्य सरकार के नियमन की हैं। विपक्षी बंशीलाल ने इस भूमि में से 23/45 हिस्सा अपने भाई विपक्षी पुरूषोतम को विक्रय की है, जिस वजह से विपक्षी बंशीलाल के 22/45 एवं विपक्षी पुरूषोतम के 23/45 वां हिस्सा खातेदारी एवं कब्जे में हैं। इस भूमि आराजी नम्बर 1717 पर श्री कन्नीराम या श्री टेकचन्द का कभी कब्जा नहीं रहा। कब्जा केवल विपक्षी बंशीलाल का था, सो बंशीलाल के नाम से ही राज्य सरकार ने यह भूमि नियमित की हैं। विपक्षी पन्नालाल का इस भूमि पर कोई कब्जा स्वत्व कुछ भी नहीं हैं। आराजी नम्बर 1717 पर केवल विपक्षी बंशीलाल का एवं विपक्षी पुरूषोतम का कब्जा हैं। प्रार्थी, विपक्षी पन्नालाल का इस भूमि पर कब्जा स्वत्व कुछ भी नहीं हैं। इस आराजी नम्बर 1717 के कुछ भाग पर विपक्षी बंशीलाल का मकान बना होकर निवास है जो गत 16–17 वर्ष से मकान हैं।

15. यह कि प्रार्थना पत्र में आराजी नम्बर 1717 के बारे में प्रार्थी ने गलत कथन कर रखा है, प्रार्थी एवं विपक्षी पन्नालाल का इस पर कोई कब्जा स्वत्व नहीं हैं। ये लोग इस भूमि पर कब्जा करने के अधिकारी नहीं है, न कोई दाद ही प्राप्त कर सकते हैं। वाद प्रार्थना पत्र गलत किया हैं। आराजी नम्बर 1717 कन्नीराम के कब्जे में नही थी। कन्नीराम, टेकचन्द का इस भूमि पर कभी कब्जा स्वत्व नहीं रहा। इस आराजी में प्रार्थी को स्वत्व प्राप्त करने के लिए कोई आधार नहीं हैं।

16. यह कि हम विपक्षीगण अपने खातेदारी की भूमि को अन्य को नहीं बेच रहे है, बेचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यह भूमि हमारी जीविका है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में गलत एवं वेग कथन किया हैं। भूमि को बेचने की हमने किसी को भी कुछ भी नहीं कहा हैं। मौजा नूरडा की आराजी नम्बर 1717 के बारे में प्रार्थी ने गलत वाद किया है, जो सव्यय खारिज होगा। पक्षकार परिशिष्ट अ, ब की भूमि पर अलग–अलग शांति पूर्ण तरीके से काबिज हैं। इसी प्रकार परिशिष्ट स की भूमि पर विपक्षीगण 1 और 3 खातेदार होने से शांति पूर्ण तरीके से काबिज है। आराजी नम्बर 1717 के कुछ भाग पर 16–17 वर्ष से विपक्षी बंशीलाल का निवास का मकान बना हुआ हैं। आराजी नम्बर 1717 की कोई भी दाद प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। मौजा नूरडा की आराजी नम्बर 1717 बाबत् प्रार्थी कोई भी दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं। अन्य संयुक्त खातेदारी की भूमि के बंटवाडे बाबत कोई एतराज नहीं हैं। प्रार्थी का प्रथम

दृष्टया कोई मामला ही नहीं हैं। विपक्षीगण अपनी भूमि को किसी को हस्तान्तरित नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उपर भी जवाब दे दिया हैं। प्रार्थी का पूर्णतः वेग अस्पष्ट कथन हैं। प्रार्थी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, न हो ही सकता हैं। प्रार्थी को तारीख 20.06.2013 को या अन्य दिन वाद हेतु पैदा नहीं हुआ हैं। प्रार्थी ने वाद जून 2014 में किया है और यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जुलाई 2018 में किया है, परन्तु वादी मूल वाद में 4 साल से प्रतिवादीगण पन्नालाल व राजस्थान राज्य के सम्मन बावजूद आदेश के प्रोसेस पेश ही नही कर रहा हैं। हम विपक्षीगण ने वाद में अपना वादोतर तारीख 23.09.2014 ई. को ही पेश कर दिया हैं। इस प्रकार प्रार्थी हम विपक्षीगण को तंग परेशान करने की बदनियति में हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। ताईद में विपक्षी बंशीलाल का शपथ पत्र पेश हैं।

17. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा दस्तावेज पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

18. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम सहखातेदार के रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी व विपक्षीगण सहखातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 1717 में भी विरासत के आधार पर अपना हक बताया है जबकि 1717 बंशीलाल को राजस्व विभाग से भूमि आंवटन हुई हैं। भूमि के विपक्षीगण खातेदार होने से प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन—* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी व विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण खातेदार हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

19. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होकर प्रार्थनाग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 1717 पैतृक भूमि होकर पिताजी के समय से कब्जे में होने का कथन किया है जबकि आराजी नम्बर 1717 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 3 बंशीलाल जी को राजस्व विभाग से आंवटन हुई हैं एवं बंशीलाल जी ने उक्त भूमि का 23/45 हिस्सा विपक्षी सं. 1 पुरूषोतम को हस्तान्तरित कर दिया हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षीगण अपने हिस्सेनुसार काबिज हैं। विपक्षीगण भूमि के खातेदार काश्तकार होने से विपक्षीगण को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। विपक्षीगण को यदि पाबंद किया जाता है तो विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित हुवे हैं। इसलिए खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करना उचित नहीं हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.12 13:27:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: